No.11013/2/2013/SF/FFC

Fourteenth Finance Commission

Ministry of Finance, Government of India

19th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan
Tolstoy Marg, New Delhi – 110001

Dated the 18th January, 2013

कुलपति सचिवालय
आवक क्र. 2603
दि. 04/2/13
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

To

The Vice Chancellor
Pt.Ravishankar Shukla University
Raipur - 492 010 Chattisgarh ,

Sub: Suggestion on issues related to the ToRs of the Fourteenth Finance Commission.

Madam/Sir,

The Fourteenth Finance Commission has been constituted under the Chairmanship of Dr. Y. V. Reddy by a Presidential Order dated 2nd January, 2013. Under Article 280 of the Constitution, the Finance Commission is entrusted with the task of making recommendations with respect to distribution of the net proceeds of taxes between the Union and the States, the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the measures needed to augment the Consolidated Fund of a state to supplement the resources of the Panchayats and the Municipalities. A copy of the Notification detailing the Terms of Reference (ToRs) of the Commission is attached.

2. As a part of the consultative process, the Commission would like to benefit from a wide range of expert opinions. Information about present and previous Finance Commissions is also available on the website www.fincomindia.nic.in.

3. The Commission shall greatly appreciate inputs in the form of expert views/suggestions from you and your colleagues in your institution on the issues related to the ToRs of the Fourteenth Finance Commission, preferably by the 31st March, 2013, for consideration by the Commission. Should you require further information, please do not hesitate to contact us at email secy-ffc@nic.in.

Yours faithfully,

(A. N. Jha)
Secretary

Grants Cell, Pt. R. S. U., Raipur
1138
20/02/13

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934
No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013

का.आ. 31(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें डा. वाई.वी. रेड्डी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अध्यक्ष के रूप में और निम्नलिखित चार सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात :

1.	प्रो. अभिजीत सेन सदस्य योजना आयोग	सदस्य (अंश कालिक)
2.	सुश्री सुषमा नाथ पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव	सदस्य
3.	डा. एम. गोविन्दा राव निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य

4. डा. सुदीप्तो मुंडले — सदस्य
पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष,
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

2. श्री अजय नारायण झा आयोग के सचिव होंगे।

3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना-अपना पद ग्रहण करते हैं, 31 अक्तूबर, 2014 तक पद धारण करेंगे।

4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थात्:-

(i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1, अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;

(ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।

5. आयोग, विशेष रूप से, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राजवित्तीय समेकन रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटे और ऋण स्तरों का पुनर्विलोकन और वर्तमान में प्रवृत्त राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियमों में संशोधन के सुझावों सहित समान वृद्धि से संगत स्थिर और पोषणीय राजवित्तीय वातावरण बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा और ऐसा करते समय, आयोग, घाटे के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के रूप में प्राप्तियों और व्यय के प्रभाव पर विचार कर सकेगा; और आयोग, राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियमों में अधिकथित बाध्यताओं का पालन करने हेतु राज्यों के लिए प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों पर भी विचार करेगा और उनकी सिफारिश भी करेगा।

6. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:-

(i) वर्ष 2014-15 के दौरान पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के

संभावित स्तरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार के संसाधन;

(ii) केंद्रीय सरकार के संसाधनों, विशेष रूप से सिविल प्रशासन, रक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्वों संबंधी मांग;

(iii) वर्ष 2014-15 के दौरान पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए, राज्य सरकारों के संसाधन और विभिन्न शीर्षों के अधीन ऐसे संसाधनों पर मांग, जिसके अंतर्गत ऋण प्रतिबलित राज्यों में उपलब्ध संसाधन पर ऋण स्तरों का समाघात भी है;

(iv) सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने, अपितु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष उदभूत करने का भी उद्देश्य;

(v) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान संबंधी प्रयास और संघ की दशा में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और राज्यों की दशा में कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता;

(vi) पोषणीय और समावेशित विकास, और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच साहयिकियों के समान विभाजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित साहयिकियों का स्तर;

(vii) पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव और अनुरक्षण के गैर-वेतन घटक संबंधी व्यय और 31 मार्च, 2015 तक पूरी की जाने वाली आयोजना स्कीमों पर गैर-मजूदरी संबंधी रख-रखाव व्यय तथा ऐसे मानदण्ड, जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव के लिए विनिर्दिष्ट धनराशियों की सिफारिश की जाती है, तथा ऐसे व्यय को मानीटर करने की रीति;

(viii) पेयजल, सिंचाई, विद्युत और सार्वजनिक परिवहन जैसी जनोपयोगी सेवाओं के मूल्यनिर्धारण को कानूनी उपबंधों के मार्फत नीतिगत उतार-चढ़ावों से अलग रखने की आवश्यकता;

(ix) पब्लिक सेक्टर उद्यमों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुखी बनाने, सूचीबद्ध और विनिवेश और गैर-प्राथमिकता वाले उद्यमों को छोड़ने की आवश्यकता;

(x) सतत आर्थिक विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संतुलित प्रबंध की आवश्यकता; और

(xi) केंद्र और राज्यों के वित्तीय-साधनों पर प्रस्तावित माल और सेवा कर का प्रभाव और किसी राजस्व हानि की दशा में क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र।

7. आयोग, विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय, उन सभी मामलों में, जहां करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के अंतरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को, सामान्यतया, आधार के रूप में लेगा; तथापि, आयोग, उन जनसांख्यिकीय बदलवों को भी ध्यान में रख सकेगा जो 1971 के बाद में हुए हैं।

8. आयोग, बजटीय और लेखाकरण मानकों तथा परंपराओं सहित, विद्यमान में लागू लोक व्यय प्रबंध प्रणालियों; प्राप्तियों और व्यय के वर्गीकरण की विद्यमान प्रणाली; परिव्ययों को उत्पादन और परिणाम से जोड़ने; देश में और विदेशों में प्रचलित सर्वोत्तम परंपराओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।

9. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वितपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।

10. आयोग उन आधारों को बताएगा, जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्य-वार अनुमान उपलब्ध कराएगा।

11. आयोग, 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए, 31 अक्तूबर, 2014 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

नई दिल्ली, तारीख 1 जनवरी, 2013

ह./-
प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 10(2)-बी (एस)/2012]
डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव (बजट)